UPSI010042272024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर

दाण्डिक अपील सं0–
सी0आई0एस0सं0–32/2024

अपील अन्तर्गत धारा 341 सपठित
धारा 195(4) दं0प्र0सं0
थाना मिश्रिख
जिला सीतापुर

श्याम सुन्दर आदि बनाम मुंशीलाल आदि

दिनांक 04–07–2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4/विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट) सीतापुर द्वारा प्रकीर्ण दीवानी वाद सं0–8053/2022 में पारित आदेश दिनांकित 27–05–2024 द्वारा हर्जे पर माफ किया जा चुका है और अपीलार्थीगण द्वारा हर्जा अदा किया जा चुका है।

मैंने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को इस दाण्डिक अपील को अंगीकृत किये जाने के बिन्दु पर सुना।

यह दाण्डिक अपील विद्वान अवर न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), सीतापुर द्वारा प्रकीर्ण दीवानी वाद एन0सी0 सं0–64/2022, सी0आई0एस0 सं0–141/2022, श्याम सुन्दर आदि बनाम मुंशीलाल आदि में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14–09–2022 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3ग2 अन्तर्गत धारा 340 सपठित धारा 195 दं0प्र0सं0 को निरस्त किया गया है।

मेरे विचार में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक–14–09–2022 के विरूद्ध यह दाण्डिक अपील संधारणीय है। अतः अपील अंगीकृत की जाती है, इसे पंजीकृत किया जाए। विपक्षीगण को नोटिस जारी हो।

यह दाण्डिक अपील सुनवायी हेतु दिनांक–05.08.2024 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश
सीतापुर
04–07–2024

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2024.07.04 15:13:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sitapur